ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1, दिनांकःअलीगढ़ःअगस्तः 29 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **जनपद कासगंज में बरेली–मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग–33) के कि.मी.चैनेज 138.395 पर मार्ग की बांयी पटरी के किनारे ग्राम मल्हार नगर के खसरा सं0-427(S) में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क निर्माण हेतु 0.075038 है0 (पूर्व में 0.0774298 हे0) संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा 7बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति।**

संदर्भ– (1) आपका पत्रांक 346/कासगंज/18673/2016दि0 8.8.2017
(2) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ का पत्रांक सं0 8बी / यू0पी0 / 06 / 65 / 2016 / एफ0सी0 / 86 दिनांक 07.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज ने अपने पत्रांक 348 / 14-1, दिनांक 21.8.2017 द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। अतः आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

S.No.	Observation	REPLY
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनविभाग के पक्ष में प्रभावित 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नईदिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 100 पौध के रोपण एवं 10 वर्ष के रखरखाव हेतु रू0 1,49,600.00 धनराशि को ON LINE FOREST CLEARANCE PORTAL द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC CORP0000633, A/c No. 15090199186732016940 में R.T.G.S. U.T.R. No. P17062207369100 के माध्यम से केनरा बैंक, सोरों शाखा, कासगंज में दिनांक 22.06.2017 को जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2. (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एंवभारतसरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.075038 हे0 का एन0पी0वी0 रू0 46974.00 धनराशि को ON LINE FOREST CLEARANCE PORTAL द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC CORP0000633, A/c No. 15090199186732016940 में R.T.G.S. U.T.R. No. P17062207369100 के माध्यम से केनराबैंक, सोरों शाखा, कासगंज में दिनांक 24.04.2017 को जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2. (ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छाया प्रतिसहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित संलग्न है।**(संलग्नक–1)**

2. (ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र (सक्षमस्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–2**(ग)** के एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढी हुयी धनराशि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा जमा करने सम्बन्धित अण्डरटेकिंग संलग्नहै। **(संलग्नक–2)**
3.	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवंदे देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या–3 में उल्लिखित सभी शर्तों का एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अनुपालन किया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।**(संलग्नक–3)**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (232.440 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवाल बनाकर किया जाएगा।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (232.44 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवाल बनाकर किया जाएगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।**(संलग्नक–4)**
5.	प्रपोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या–5 में उल्लिखित सभी शर्तों का एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अनुपालन किया जायेगा। इसआशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।**(संलग्नक–5)**
6.	प्रपोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनश्चित करेंगें कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।**(संलग्नक–6)**

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 625 / 14–1, समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को पत्रांक 348 / 14-1, दिनांक 21.8.2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर एस्सार ऑयल लि0 नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।